BSES

बिजली चोरी में मां–बेटे को जेल

बिजली चोरी के एक अन्य मामले में रेस्त्रां मालिक पर भारी जुर्माना

नई दिल्लीः 6 जून। बिजली चोरी के मामले में एक बार फिर अदालतों ने कड़ा रूख अपनाते हुए, दो अलग–अलग मामलों में तीन लोगों को सजा सुनाई है। पूर्वी दिल्ली में मां–बेटे को और दक्षिणी दिल्ली में एक रेस्त्रां के मालिक को सजा सुनाई गई है।

पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार इलाके में रहने वाले संजीव जैन और उनकी मां उमा जैन को स्पेशल कोर्ट ने बिजली चोरी का दोषी करार दिया है। बेटे को जहां एक साल जेल की सजा सुनाई गई है, वहीं मां को छह महीने की कैद की सजा मिली है। इसके अलावा, मां–बेटे पर 2.70 लाख रूपये का जुर्माना भी किया गया है। जुर्माने में फाइन व सिविल लायबिलिटीज शामिल हैं। उधर, दक्षिण दिल्ली में एक रेस्त्रां के मालिक मिकी तेवतिया पर स्पेशल कोर्ट ने 6 लाख रूपये का जुर्माना किया है और सुनवाई खत्म होने तक कोर्ट में खड़े रहने की सजा दी है।

मयूर विहार का मामलाः

बीएसईएस की टीम ने मयूर विहार इलाके में रहने वाले श्री संजीव जैन और श्रीमती उमा जैन के यहां बिजली मामलों की अनियमितता की जांच की थी, जिसमें उन्हें 8 किलोवॉट बिजली की चोरी करते पकड़ा गया था। वे मीटर को बाय–पास करके बिजली की चोरी कर रहे थे। इसके बाद बीएसईएस ने कानून के मुताबिक, मां–बेटे से जुर्माने का भुगतान करने को कहा, लेकिन उन्होंने जुर्माने का भुगतान नहीं किया। अंततः बीएसईएस को पांडव नगर पुलिस स्टेशन में मां–बेटे के खिलाफ एफआईआर करवानी पड़ी और मामले को बिजली की स्पेशल कोर्ट में ले जाना पड़ा। इस मामले की एफआईआर संख्या 1089/2014 है। इसके बाद, अपने बचाव में श्री संजीव जैन ने कोर्ट के समक्ष खुद को मालिक नहीं, बल्कि किरायेदार बताते हुए, एक दूसरे व्यक्ति के तौर पर पेश किया और अपना नाम राजेश जैन बताया।

लेकिन, जिरह के दौरान पेश किए गए सबूतों के आगे उनकी एक न चली और अदालत ने मां–बेटे को बिजली चोरी का दोषी करार देते हुए जेल और जुर्माने की सजा सुनाई।

कड़कड़डूमा स्थित बिजली की स्पेशल कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा– *... दोनों आरोपियों–– उमा जैन और संजीव जैन उर्फ राजेश जैन को इलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट की धारा 135 के तहत दोषी करार दिया जाता है। औद्योगिक इस्तेमाल के लिए अवैध तरीके से बिजली का इस्तेमाल करने के जुर्म में उन पर इलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट 154/5 के तहत सिविल लायबिलिटीज भी बनती है।*

अदालत ने बेटे संजीव जैन को, खुद को एक दूसरे व्यक्ति के तौर पर पेश करने का भी दोषी पाया। अदालत के मुताबिक– *आईपीसी की धाराओं के तहत संजीव जैन को राजेश जैन के तौर पर अपनी गलत पहचान बताने का भी दोषी पाया गया है।*

अदालत ने संजीव जैन को सजा सुनाते हुए कहा– *दोषी व्यक्ति संजीव जैन ने धोखा देने और सजा से बचने के लिए खुद को राजेश जैन के रूप में पेश किया। पूरी सुवनाई के दौरान दोषी व्यक्ति ने अपने किए पर कोई पछतावा नहीं जताया, बल्कि वह कोर्ट पर, आईओ पर और जांच व सुनवाई में शामिल अन्य लोगों पर कई तरह के आरोप लगाने लगा। इस तरह, इस मामले में नरमी बरतने का कोई कारण नहीं है।*

दक्षिण दिल्ली का मामलाः

दक्षिण दिल्ली के इग्नू रोड पर एक रेस्त्रां चलाने वाले मिकी तेवतिया को साकेत स्थित बिजली की स्पेशल कोर्ट ने 5 किलोवॉट बिजली की चोरी करने का दोषी करार दिया है। वहां नॉन–डोमेस्टिक उद्देश्यों के लिए बिजली की सीधी चोरी

की जा रही थी। रेस्त्रां के सेकंड और थर्ड फ्लोर पर बिजली का मीटर नहीं लगा था, वहां बिजली की सीधी चोरी हो रही थी।

जब बीएसईएस को जांच में इस बिजली चोरी के बारे में पता चला तो कानून के मुताबिक मिकी तेवतिया पर 2.87 लाख रूपये का जुर्माना किया गया, लेकिन उन्होंने जुर्माने का भुगतान नहीं किया। इसके बाद, बीएसईएस ने इलाके के पुलिस सटेशन में मामले की एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर संख्या 485/15 है। अपने बचाव में आरोपी ने कहा कि वह जेनरेटर से बिजली ले रहे थे, लेकिन वह इसका प्रमाण नहीं दे पाए।

स्पेशल कोर्ट ने उन्हें बिजली चोरी को दोषी करार देते हुए उन पर 6 लाख रूपये का जुर्माना किया। इसमें फाइन और सिविल लायबिलिटीज शामिल हैं। साथ ही, कोर्ट की कार्यवाही चलने तक उन्हें कोर्ट में खड़े रहने की भी सजा सुनाई गई, जिसे सेंटेंस टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट कहा जाता है।

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा– *यह साफ है कि मिकी तेवतिया अपने पक्ष में कोई बचाव नहीं पेश कर पाए... मेरा मानना है कि प्रॉसिक्यूशन बिना किसी ठोस शक के इस मामले को साबित करने में सफल रहा। और इस तरह उन्हें इलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट 2003 की धारा 135 के तहत दोषी व कॉन्विक्टेड करार दिया जाता है।*

दिल्ली की प्रमुख बिजली वितरण कंपनियां बीआरपीएल और बीवाईपीएल रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के बीच संयुक्त उद्यम हैं।

.....